आबकारी विभाग

नवजीवन योजना

अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास हेतु योजना

नवजीवन योजना

1. **प्रस्तावना:** राज्य के ग्रामीण/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में कुछ व्यक्ति/समुदाय परम्परागत रूप से अवैध शराब के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय करने की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। राज्य की आबकारी एवं मद्य–संयम नीति के अनुसार शराब के व्यवसाय का अधिकार राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, अतः उक्त नीति के परिप्रेक्ष्य में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा शराब का निर्माण अथवा व्यवसाय किया जाना अवैध एवं पूर्ण रूप से निषिद्ध है।

अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध नियमित रूप से राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 और उसके अन्तर्गत नियमों के अधीन आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। ऐसा अनुभव किया गया है कि बार–बार कानूनी कार्यवाही के उपरांत भी ऐसे व्यक्ति/परिवार अवैध शराब के व्यवसाय से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके निम्न मुख्य कारण प्रतीत होते हैं–

- ऐसे परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां।
- शिक्षा एवं संचेतना का अभाव।
- अन्य वैकल्पिक रोजगार के साधनो का अभाव।
- ऐसे परिवारों के साथ जुडी छबि जो इनको समाज की मुख्य धारा से अलग रखती है।
- प्रशिक्षण एवं स्वप्रेरणा की कमी।

राजस्थान सरकार ने कल्याणकारी सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये ऐसे व्यक्तियों/समुदायों को इस अवैध व्यवसाय में संलिप्त होने की परिस्थितियों और कारकों का विश्लेषण कर इनके प्रभावी पुनर्वास की व्यवस्था करने का संकल्प लिया है।

अवैध शराब के उत्पादन व विक्रय में लिप्त नागरिकों के उत्थान व विकास का दृष्टिकोण अभी तक उपेक्षित रहा है। राज्य में अनाधिकृत शराब के उपभोग एवं सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों व कतिपय दुखान्तिकाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार का यह मानना है कि ऐसे व्यक्तियों/समुदायों के पुनर्वास, (यथा आजीविका के वैकल्पिक अवसर/संसाधन उपलब्ध कराना, अशिक्षा को दूर करना एवं उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना) की महती आवश्यकता है।

इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2009–10 की आबकारी नीति में एवं परिवर्तित बजट अभिभाषण में समग्र प्रदेश में अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त परिवारों के पुनर्वास हेतु आबकारी राजस्व की एक प्रतिशत राशि, जो कि लगभग 23 करोड़ रू. है, व्यय करने की घोषणा की है।

2. **योजना का प्रसार / विषय–क्षेत्र** : यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रवर्तित होगी।

3. **योजना हेतु पात्रता:** [i] ऐसे चयनित व्यक्ति/परिवार जो बार–बार कानूनी कार्यवाही के उपरांत भी इस व्यवसाय में लिप्त हैं तथा इन कारणों से अनेकों बार कारावास की सजा भी काट चुके हैं किंतु सजा के बाद पुनः इस अवैध कार्य में शामिल हो जाते हैं।

[ii] संबंधित जिला आबकारी अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला श्रम एवं रोजगार अधिकारी, आबकारी (प्रवर्तन) विभाग का जिलाधिकारी और जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के नामिती एवं मान्यता प्राप्त गैर शासकीय संस्थान (एन.जी.ओ.) की समिति (जिसे आगे मद्य–निषेध सर्तकता समिति कहा जाएगा) के द्वारा इस हेतु चयनित व्यक्ति/परिवार।

4. <u>योजना का स्वरूप</u> :

4.1 **प्रथम चरण** – प्रथम चरण में अवैध शराब के व्यवसाय में लिप्त व्यक्तियों/समुदायों को व्यवसाय के दुष्प्रभावों और जीविकोपार्जन के लिए वैकल्पिक आजीविकाएं अपनाने के लिए–

[i] सभाएं आयोजित कर,

[ii] मल्टीमीडिया का प्रदर्शन कर,

[iii] नुक्कड नाटक आयोजित कर और

[iv] स्व–प्रेरणा/प्रोत्साहन के फलस्वरूप अवैध शराब के व्यवसाय से विमुख हुए व्यक्तियों का सार्वजनिक रूप से उदाहरण प्रस्तुत कर प्रेरित किया जाएगा।

4.2 **द्वितीय चरण** – द्वितीय चरण में अवैध शराब के व्यवसाय से जुड़े चिन्हित परिवारों के सदस्यों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्न वैकल्पिक रोजगारों (यह सूची मात्र Indicative है) के लिए कौशल प्रशिक्षण (skill training) प्रदान किया जायेगा :–

[i] परिवहन व्यवसाय
[ii] मोजडी निर्माण व मरम्मत
[iii] मणिहारी सामान विक्रय
[iv] सौन्दर्य प्रसाधन (ब्यूटी पार्लर)
[v] लकडी के हेण्डीक्राफट्स का व्यवसाय
[vi] रेडीमेड गारमेण्ट का व्यवसाय / टेलरिंग
[vii] कम्प्यूटर ट्रेनिंग
[viii] डेयरी
[ix] जनरल मर्चेन्डाईज
[x] अन्य व्यवसाय जिसके लिए चयनित व्यक्ति निर्धारित अर्हता धारित करता हो तथा इच्छुक हो।

4.3 कौशल प्रशिक्षण के संस्थान, प्रशिक्षण की अवधि एवं वृत्तिका (Stipend):–

4.3.1 कौशल प्रशिक्षण निम्न संस्थाओं के द्वारा प्रदान किया जाएगा :–

[i] राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
[ii] रूडा
[iii] जिला उद्योग केन्द्र
[iv] के.वी.आई.सी.
[v] श्रम एवं रोजगार विभाग
[vi] राजकौशल समिति
[vii] डेयरी विभाग
[viii] अन्य गैर शासकीय संस्थान जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं एवं जिसकी अनुशंसा मद्य–निषेध सर्तकता समिति द्वारा की जाए।

4.3.2—कौशल प्रशिक्षण की शर्तें:— कौशल प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व चयनित लाभार्थी के द्वारा इस आशय का एक बन्धपत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि वह स्वयं अवैध शराब के व्यवसाय से विमुख है तथा अपने परिवारजनों को भी इससे विमुख रखने की शपथ लेता है।

4.3.3—कौशल प्रशिक्षण की अवधि:— कौशल प्रशिक्षण अवधि न्यूनतम 3 माह होगी । यह अवधि चयनित रोजगार के लिए वांछित कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुसार मद्य—निषेध सर्तकता समिति के द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

4.3.4—कौशल प्रशिक्षण की वृत्तिका (stipend):— इस योजना के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण की अवधि में चयनित व्यक्ति/महिला को प्रतिमाह 2000/— रू. की वृत्तिका (stipend) का भुगतान किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण की अवधि में इस बन्धपत्र/शपथ पत्र का उल्लघंन करने पर लाभार्थी को प्रतिमाह प्रदान की जा रही वृत्तिका राशि का भुगतान तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा।

4.4 तृतीय चरण —

4.4.1 उपर्युक्त चरणों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लाभार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास निगम लि0 की योजनाओं के अनुसार ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.) के द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अनुसार ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

4.4.2 ऋण अनुदान (loan subsidy) यदि उक्त विभागों की ऐसे लाभार्थियों के लिए कोई योजना लागू नहीं है तो ऐसे प्रत्येक लाभार्थी के प्रकरण में मद्य—निषेध सर्तकता समिति के द्वारा ऋण देने वाले संबंधित वित्तीय संस्थान को कुल ऋण राशि की 15 प्रतिशत राशि, जो कि अधिकतम 50,000/— रू. होगी, ऋण अनुदान (loan subsidy) के रूप में प्रदान की जाएगी।

4.4.3 संबंधित वित्तीय संस्थान विशेषज्ञ संस्थाओं व एनजीओ के द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता लाभार्थी की मासिक ग्रेडिंग व मार्गदर्शन करेगा जिससे कि लाभार्थी को इस योजना के लाभ का सामयिक अंकेक्षण हो सकें।

5.1 **शिक्षा**— उक्त चिन्हित लाभार्थियों के बच्चों एवं महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की दृष्टि से शिक्षा एवं प्रशिक्षण महत्वपूर्ण घटक है। प्रायः उक्त समुदायों के बच्चें व महिलाएं ऐसे व्यवसाय में सहयोग करती है और उनका शैक्षिक व नैतिक विकास ऐसी संलग्नता के कारण अवरूद्ध होता है। इस दृष्टि से चिन्हित लाभार्थियों के बच्चों एवं महिलाओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की विभिन्न शैक्षणिक एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से लाभान्वित किया जायेगा।

5.2 **स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका** — इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बजट प्रावधानों के अनुसार स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की दृष्टि से बालवाडी एवं आवासीय व गैर–आवासीय ब्रिंजकोर्स संचालित किए जाऐंगे। प्रौढ महिलाओं व बालिकाओं के लिए पृथक से साक्षरता व व्यावसायिक कौशल कार्यक्रम आयोजित कराये जाएंगे। इन संस्थाओं द्वारा इस कार्यक्रम को चयनित क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार एवं प्रोत्साहित किया जावेगा। जिला समिति द्वारा इनके प्रोजेक्ट को अनुमोदित करने की स्थिति में इस हेतु आर्थिक व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जावेगी।

5.3 **माध्यमिक व कॉलेज शिक्षा**— माध्यमिक व उच्च शिक्षा में अध्यन्नरत उक्त परिवारों के छात्र/छात्राओं को व्यवसायोन्नमुखी पाठ्यक्रमों जैसे पीएमटी, पीईटी, एमबीए, बीसीए, एमसीए आदि में प्रवेश के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं के अनुसार कोचिंग हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त अनुदान कोचिंग की लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रू. (जो भी कम हो) होगा। यह अनुदान सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी परीक्षाओं में 60 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध होगा।

6. **योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की प्रकिया** : इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति/परिवार के द्वारा निम्न प्रकार जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन किया जाएगा:-

[i] आवेदक/आवेदिका सादे कागज पर अपनी फोटो के साथ सादे कागज पर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

[ii] आवेदन के साथ उसके द्वारा धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

[iii] आवेदन पत्र में विशिष्ट वृत्ति, जिसका प्रशिक्षण आवेदक/आवेदिका प्राप्त करना चाहता/चाहती है का उल्लेख किया जायेगा।

[iv] अनुसूचित जाति/जनजाति का संबंधित तहसीलदार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

[v] आवेदक/आवेदिका के द्वारा इस आशय का एक बन्धपत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि वह स्वयं अवैध शराब के व्यवसाय से विमुख है तथा अपने परिवारजनों को भी इससे विमुख रखने की शपथ लेता है/लेती है।

[vi] प्राप्त समस्त आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा मद्य-निषेध सर्तकता समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

7. **योजना का वित्तीय स्रोतः-** इस योजना के लिए आबकारी राजस्व की एक प्रतिशत राशि का व्यय किया जाना एवं इसके लिए बजट मद एवं बजट प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

****